राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नीम का थाना

न्यायालय बइजलास अनिल कुमार (आर.ए.एस) अति0 जिला कलक्टर, नीम का थाना
पीठासीन अधिकारी का नाम:– अनिल कुमार (आर.ए.एस)
अपील संख्या:– 58 / 2022

उनवान

1. कालूराम सैनी पुत्र कानाराम सैनी उम्र 72 साल,
2. जगदीशप्रसाद सैनी पुत्र कानाराम सैनी, उम्र 69 साल समस्त जाति माली निवासीयान ढाणी भरण की तन थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीम का थाना।

--------अपीलान्ट्स

बनाम

1. उप तहसीलदार अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीम का थाना।
2. सुनिता कुमार पत्नी श्री जितेन्द्र कुमार सैनी जाति माली निवासी ढाणी भरण की ग्राम थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीम का थाना।

---------रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 23.09.2021 नामान्तरकरण संख्या 183 ग्राम लीलाकीढाणी (थोई) उप तहसील अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीम का थाना

उपस्थित:– श्री सत्यनारायण यादव, अधिवक्ता ------ अपीलान्टस
श्री देशबन्धू शर्मा, अधिवक्ता ------- रेस्पाडेन्ट

निर्णय दिनांक:– 22.07.2024

संक्षेप्त में अपील अपीलान्ट इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम लीला की ढ़ाणी (थोई) पटवार हल्का थोई तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित भूमि खसरा नं. 1636 रकबा 4.00 है0 में खातेदार सुरजमल पुत्र कानाराम के नाम दर्ज 1/3 हिस्से में से 2/3 हिस्से कि भूमि बाबत् विक्रय लेख दिनांक 16.03.2020 के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 183 दिनांक 23.09.2021 को उप तहसीलदार अजीतगढ़ द्वारा स्वीकार किया गया। नामान्तरकरण संख्या 183 विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त होने योग्य है। नामान्तरकरण स्वीकार करने से पूर्व उप तहसीलदार अजीतगढ़ ने मौके संबंध में कोई जाँच ना तो स्वयं कि एवं ना ही किसी सक्षम अधिकारी से करवायी गई। ऐसे सूरत में विवादित नामान्तरकरण शुन्य व विधि विरूद्ध है। भूमि खसरा नं. 1636 रकबा 4.00 है0 कि खातेदारी राजस्व अभिलेख में अपीलान्ट एवं सुरजमल के नाम से संयुक्त रूप से दर्ज है। सूरज मल द्वारा अपीलान्ट के हिस्से कि बाबत् कब्जे काश्त में बाधा एवं व्यवधान किये जाने पर अपीलान्ट कि ओर से दिनांक 05.06.2020 को एक वाद बाबत् विभाजन कि सहायता हेतु न्यायालय सहायक कलक्टर, फास्ट ट्रैक, श्रीमाधोपुर के यहां प्रस्तुत किया एवं स्थगन प्राप्त करने के लिए प्रार्थना–पत्र भी प्रस्तुत किया जिसमें स्थगन [illegible] य में रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के क्रय शुदा हिस्से कि सीमा तक आदेश में शीथिलता दिये [illegible] रण योग्य अधिनस्थ ने बिना कब्जे कि जाँच कराये विवादित आदेश पारित [illegible] अजीतगढ़ में विवादित नामान्तरकरण बाला–बाला अपीलान्ट को [illegible] दिये स्वीकार करने क[illegible] पारित करने में कानूनी भूल की है जो निरस्त होने योग्य है। अपील[illegible] को विवादित नामान्तरक[illegible] बाबत् कोई जानकारी नहीं थी। दिनांक 30.05.2022 को रेस्पोडेन्ट नं. 02 ने भूमि के विशेष भाग पर दिनांक 31.05.2022 को आकर भूमि की खातेदारी अपने नाम होना जाहिर करने पर नामान्तरकरण की नकल प्राप्त करने की कार्यवाही शुरू की एवं दिनांक 01.06.2022 को जानकारी हुयी। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.07.31 09:57:24 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
[illegible]थाना

है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाया जाकर उप तहसीलदार अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर का आदेश दिनांक 23.09.2021 बाबत् नामान्तरकरण संख्या 183 ग्राम लीला का ढ़ाणी थोई तहसील श्रीमाधोपुर अपास्त फरमाया जावे।

अपील अपीलान्ट पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कि गई एवं जरिये नोटिस रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 कि ओर से श्री देशबन्दू शर्मा अधिवक्ता उपस्थित आये। अपील पर वकुलाय उभय पक्ष कि पक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बताया कि नामान्तरकरण संख्या 183 दिनांक 23.09.2021 को उप तहसीलदार अजीतगढ़ द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध एवं न्याय संगत नहीं होने के कारण निरस्त होने योग्य है। नामान्तरकरण स्वीकार करते समय मौके जाँच नहीं कि भूमि खसरा नम्बर 1636 कि खातेदारी अपीलान्ट व सूरजमल के नाम से संयुक्त रूप से दर्ज है। यह कानूनी सिद्धान्त है कि जिस बाबत् न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर दिया जाता है जिसमें अगर स्थगन आदेश न होने पर भी वाद नियोजन दिन कि स्थिति कायम रखी जाती है। उप तहसीलदार अजीतगढ़ द्वारा नामान्तरकरण बाला–बाला स्वीकार किया गया है। उप तहसीलदार द्वारा नामान्तरकरण स्वीकार करते समय अपीलान्ट को कोई सूचना नहीं दि गई एवं ना ही मौके जाँच कि उप तहसीलदार अजीतगढ़ द्वारा नामान्तरकरण बाला–बाला ही स्वीकार किया गया है जो निरस्त होने योग्य है अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जावे एवं पारित आदेश नामान्तरकरण संख्या 183 ग्राम लीला की ढ़ाणी दिनांक 23.09.2021 अपास्त किया जावे।

रेस्पोडेन्ट ने दौराने बहस वकील रेस्पोडेन्ट ने बताया कि उप तहसीलदार अजीतगढ़ द्वारा नामान्तरकरण संख्या 183 सही भरा है एवं नियमानुसार भरा गया है। नामान्तरकरण मुताबिक विक्रय पत्र के भरा गया है जो जाँच करके भरा गया है जिसमें कोई किसी प्रकार कि त्रृटि नहीं है। अंतः अपील अपीलान्ट खारिज कि जावे।

वकुलाय उभय पक्ष की बहस पर मनन किंया गया एवं पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि अपीलान्ट द्वारा नामान्तरकरण संख्या 183 ग्राम लीला की ढ़ाणी (थोई) उपतहसील अजीतगढ़ दिनांक 23.09.2021 को चुनौति दि गई है। पत्रावली में उपलब्ध नामान्तरकरण संख्या 183 कि प्रति का अवलोकन किया गया जिससे पाया गया कि नामान्तरकरण संख्या 183 विक्रय पत्र के आधार पर भरा गया है। जब तक आधार दस्तावेज जो कि एक पंजीबद्ध दस्तावेज है को सक्षम न्यायालय द्वारा खारिज नहीं कर दिया जाता है तब तक उसके आधार पर दर्ज नामान्तरकरण संख्या 183 जो कि उप तहसीलदार अजीतगढ़ द्वारा तस्दीक किया गया है को अपास्त किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। उक्त नामान्तरकरण संख्या 183 पूर्णतः सही तस्दीक किया गया प्रतीत होता है। उक्त नामान्तरकरण बाबत् न्यायालय हाजा द्वारा कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज कि जाती है तथा नामान्तरकरण संख्य 183 आदेश दिनांक 23.09.2021, उप तहसीलदार अजीतगढ़ का यथावत रखा जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.07.31 09:57:24 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नीम का थाना,
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नीमकाथाना